

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
79	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ शालाएं तथा संस्थाएं		10500000
110	अशासकीय विद्यालय को अनुदान-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए		41800000
0122	अधीक्षण		1500000
123	अधीक्षण		5000000
0134	अनुरक्षण और मरम्मत - साधारण मरम्मत		1058000000
195	अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं		10000000
252	अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता		50000000
456	आयुक्त, भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त का कार्यालय		1700000
458	आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय		33400000
502	इंजीनियरिंग महाविद्यालय		86800000
573	उच्च न्यायालय (भारत)		11900100
578	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		6400100
618	उप नियंत्रक लेखन सामग्री को कार्यालय		100*
629	उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ		500000
0679	एन्फोर्समेंट		58000000
712	औद्योगिक न्यायालय		700000
792	कर्मचारी कल्याण योजना		75000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
798	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय		200 *
908	कृषि संगणना		80000000
938	केन्द्रीय तथा जिला जैले		316583000
1026	खजाना स्थापना		3400000
1070	खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोग शाला सहित)		46300000
1079	खिलाड़ियों को प्रशिक्षण		20000000
1208	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा		50000000
1222	मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण		1600 *
1395	छात्रावास		7800400
1400	विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना		10000000
1464	जिला उद्योग केन्द्र		5200000
1468	जिला एवं संभागीय स्तर		1200000
1473	जिला चिकित्सालय		550400000
1479	जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना		150000000
1509	जिला स्थापना		15000000
1513	जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण		600 *
2013	नए उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना		5000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
2274	निदेशन और प्रशासन		11300000
2282	निदेशन		5000000
2283	निदेशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)		65000000
2450	न्याय प्रशासन		60251200
2457	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		3200
2629	पुलिस		11135000
2786	प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)		1000000
2806	फल पौध रोपण हेतु अनुदान तथा सहायक अनुदान		17700000
2898	बांध तथा संलग्न कार्य		1000000
2962	बिगड़े वनों का सुधार		20000000
2965	बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित		50000000
3229	नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति		870000000
3255	विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान		21400000
3307	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण		30000000
3370	संचालनालय उद्योग		1200000
3490	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण		12100000
3491	माध्यमिक शालायें -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए		100*

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा ।-3

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
3555	मुख्यालय		816838
3569	मुख्यालय स्थापना व्यय		36600000
3572	मुफस्सिल स्थापना		5000000
3598	मोटर गैरेज		76000000
3657	राजस्व बोर्ड		2450000
3700	राज्य सैनिक बोर्ड		400000
3828	लघु सिंचाई योजना		43000000
3855	लोक निर्माण कार्य - भवन		50000500
3858	लोक शिक्षण संचालनालय		3000000
3877	क्षेत्रीय वन मण्डल		2200000
4007	विधान सभा		30000000
4149	वृहद पुलों का निर्माण		100 *
4151	वृहद पुलों का निर्माण		100 *
4199	शासकीय कर्मचारीवृन्द के कल्याण के लिए संस्था		5000000
4280	संग्रह प्रभार		200000000
4288	संचालनालय (मुख्यालय स्तर का अमला)		8000000
4295	संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली		600100

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 4

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
4296	संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था		56000
4327	सचिवालय		24400500
4330	सचिवालय (भारित)		1100200
4359	सत्कार व्यय		500000
4361	छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा		800000
4396	सरकारी प्राथमिक शालाएं - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए		10000000
4402	सरकारी शिक्षा महाविद्यालय		100 *
4491	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)		162791000
4497	सामान्य स्थापना		265584800
4544	सी. आई. डी. (इकानामिक आफेंसेस)		50100000
4639	मुख्यालय स्थापना		11000000
4643	क्षेत्रीय स्थापना		10000000
4793	जल मौसम विज्ञान नेट वर्क तथा संचालनालय स्थापना		10000000
5024	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह		200 *
5059	एनिकट / स्टापडेम का निर्माण		6000000
5067	विधि चिकित्सा विज्ञान		62200100
5171	विशेष न्यायालयों की स्थापना		2442000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 5

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
5205	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर		10000000
5226	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि		140500000
5231	लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान		50000000
5371	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण		600000000
5416	परिवार न्यायालय की स्थापना		16757400
5421	छत्तीसगढ़, राज्य न्यायिक अकादमी		840000
5435	प्रशासन अकादमी		6200000
5632	साईन्स सिटी की स्थापना		368100000
5641	वन प्रबंधन समितियाँ		310000000
5908	खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण		20000000
5998	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		387100000
6140	छात्र भोजन सहाय योजना		1000100
6262	राज्य निर्वाचन आयोग		11850000
6356	फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो		8363100
6386	चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय		50000100
6455	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना		100*
6494	संचालक पुरातत्व एवं संग्रहालय		3749203

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 6

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
6540	चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन		100000000
6605	भू -संपदा विनियामक अपीलीय अधिकरण, रायपुर		2500000
6611	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन		169620000
6613	15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान		100 *
6623	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना		1300000000
6633	संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना		400000
6635	छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि		4350000000
6639	डिजिटलाईजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटीज		144400000
6667	छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र		25000000
6705	राज्य सूचना आयोग		3000000
6723	संयुक्त वन प्रबंध सुदृढीकरण एवं विकास		30000000
6757	बाढ़ नियंत्रण योजनाएं		5000000
6788	संचालनालय उद्यानिकी		23600000
6854	लाख विकास योजना		10000000
6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान		70000000
6885	प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना		139637
6931	छ.ग. राज्य कृषक कल्याण परिषद		100 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 7

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
7014	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना		15450000
7046	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली 2.0		100000000
7048	महतारी वंदन योजना		49000000000
7057	कम्प्यूटराईजेशन आफ स्टेट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज आफिस		100 *
7090	महिला जागृति शिविर एवं दिशा दर्शन		50000000
7091	महिला कल्याण क्षेत्रों में कार्यरत शासकीय/अशासकीय संस्थाओं को अनुदान		2390000
7094	विभागीय भवनों का निर्माण एवं विद्युत व्यय		500000000
7107	विकसित छत्तीसगढ़ 2047 रोडमैप		79204606
7109	प्रधानमंत्री ई-बस सेवा		400000400
7119	पी.एम. जनमन योजना		237600100
7121	प्रशासनिक व्यय		8700100
7122	पी.एम. जनमन - आवास		200 *
7123	7.51 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032		100 *
7124	7.49 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029		100 *
7125	7.46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2031		100 *
7126	7.46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033		100 *
7127	7.44 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2030		100 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 8

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
7128	7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029		100 *
7129	7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2030		100 *
7130	7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2031		100 *
7131	7.48 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032		100 *
7132	7.45 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033		100 *
7133	7.39 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033		100 *
7134	7.38 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032		100 *
7135	7.38 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2034		369000000
7136	7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2034		373500000
7137	7.46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032		373000000
7138	7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033		373500000
7139	7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032		373500000
7140	7.49 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2035		374500000
7141	7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2034		373500000
7142	7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033		373500000
7143	माननीय उच्च न्यायालय के उद्यानों का रख रखाव		29000000
7144	कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम		15000000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 9

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
7146	विधान सभा परिसर में वृक्षारोपण		10000000
7147	फार्मेसी महाविद्यालय		10000000
7148	नवा रायपुर अटल नगर में ई. यातायात योजना		300 *
7149	मंत्रालयीन अधोसंरचना कार्य		20000000
7150	नेशनल गेम्स		10000000
7151	छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान		7500000
7152	पीड़ित क्षतिपूर्ति		130000000
7153	राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद		5000000
7154	प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान कार्यक्रम		27200000
7155	पर्यावरण संरक्षण		20000000
7156	पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग		20000000
7157	सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस		5000000
7158	इनक्यूवेशन सेंटर		50000000
7159	गौ अभ्यारण्य योजना		50000000
7296	खेल अकादमी		50000000
7297	लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि		420000000
7330	मितानिन कल्याण निधि		29500000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 10

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
7397	छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पोंस सर्विसेस योजना		17622000
7437	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना		5000000
7475	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना		250000000
7493	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना		20311000
7502	सी.बी.आई. न्यायालय की स्थापना		523400
7680	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक		600 *
7706	अमृत मिशन		300 *
7718	आपातकालीन सेवाएं		18400000
7755	अतिविशिष्ट अतिथियों का भ्रमण		100000000
7769	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण		850000
7796	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप		100 *
7798	कॉमर्शियल कोर्ट		699000
7849	छ.ग. राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन		100 *
7919	छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना		101658316
7948	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन		1300000000
7957	छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास संस्थान		33000000
7976	जवाहर सेतु योजना		300 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 11

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम			प्रावधान (रूपये में)
7977	शहरी क्षेत्र के मार्ग		200 *
7979	समग्र शिक्षा		20000100
7983	ग्रामीण मार्गों की साधारण मरम्मत		400000000
7984	ग्रामीण मार्गों की विशेष मरम्मत		50000000
8048	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय		5000000
8071	पोलीटेकनिक भवनों का निर्माण		10300000
8662	छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना		250000000
8703	दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना		29500000
8914	विद्युत कम्पनियों को सहायता		2500000000
8971	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान		1900 *
9044	आंगनबाड़ी सेवायें (सामान्य)		450000200
9056	माध्यस्थम अधिकरण		1874000
9059	घरेलु कर्मचारी (भारित)		2200000
9172	प्रदर्शनी मेला तथा प्रचार (बागवानी)		10000000
9188	उद्यान विकास योजना		50600000
9262	जिला सैनिक बोर्ड		13136000
9949	मिशन वात्सल्य		200 *

योग

73293562700

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 12